कृषि विज्ञान केन्द्र
(गो0 ब0 पंत कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय)
धनौरी–हरिद्वार

पत्रांक: केवीके/धनौरी/निविदा/आम/2025–27/ दिनांक: सितम्बर 01, 2025

निविदा सूचना

कृषि विज्ञान केन्द्र, धनौरी–हरिद्वार के प्रक्षेत्र पर 7–8 वर्ष आयु के 6 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर आम के बगीचे की फलत को आगामी 2 वर्ष यथा: 25 सितम्बर, 2025 से 31 अगस्त, 2027 तक विक्रय हेतु सील बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क. निविदा फार्म बिक्री की तिथि :	निविदा फार्म 10 सितम्बर, 2025 से 16 सितम्बर, 2025 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से मध्याहन 12:00 बजे तक केन्द्र के कार्यालय से नगद भुगतान पर प्राप्त किए जा सकते हैं।
ख. निविदा फार्म का मूल्य :	₹ 500.00+कर@18% कुल धनराशि ₹ 590.00 (नॉन रिफन्डेबल)
ग. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि :	16 सितम्बर, 2025 की अपराह्न 2:00 बजे तक
घ. निविदा खोलने की तिथि :	16 सितम्बर, 2025 को अपराह्न 2:30 बजे निविदा समिति के सम्मुख।
ड़. निविदा खोलने का स्थान :	कृषि विज्ञान केन्द्र, धनौरी–हरिद्वार पर।

निविदा शर्तें:

1. बागों के ठेके की अवधि दिनांक: 25 सितम्बर, 2025 से 31 अगस्त, 2027 तक होगी।
2. ठेका लेने से पूर्व ठेकेदार बागों का भली–भांति निरीक्षण कर लें। बागों की बिक्री के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति/शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदा प्रपत्र (Tender Form) दिनांक 10 सितम्बर, 2025 से 16 सितम्बर, 2025 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 12:00 बजे तक केन्द्र के कार्यालय से नगद भुगतान पर प्राप्त किए जा सकते हैं।
4. कृषि विज्ञान केन्द्र, धनौरी–हरिद्वार के कार्यालय से निर्धारित तिथि से कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 10:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक निविदा प्रप्रत्र ₹ 500/– व 18 प्रतिशत जी एस टी कुल ₹ 590/– की दर से (नॉन रिफन्डेबल) निविदाताओं को विक्रय किए जायेंगे। सील्ड निविदाएं निर्धारित तिथि दिनांक 16 सितम्बर, 2025 को निर्धारित समय अपराह्न 2:00 बजे तक केन्द्र की निविदा पेटी में डाली जायेंगी।
5. निविदायें केन्द्र के कार्यालय में दिनांक 16 सितम्बर, 2025 को अपराह्न 2:30 बजे निविदा समिति के सम्मुख खोली जायेंगी।
6. निविदा में भाग लेने वाले क्रेताओं को क्वालीफाईंग मनी रू0 20,000.00 नगद रूप में दिनांक 16 सितम्बर, 2025 को अपराह्न 12:00 बजे तक प्रभारी अधिकारी केवीके, धनौरी के कार्यालय में जमा करना होगा।
7. सफल निविदादाता को निविदा की कुल धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि क्वाललीफाइंग मनी के अतिरिक्त तुरन्त नगद जमा करना होगा।

8. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ पैन कार्ड व आधार कार्ड की छायाप्रति भी संलग्न करना आवश्यक होगा।
9. उच्चतम निविदादाता एवं द्वितीय उच्चतम निविदादाता द्वारा जमा की गई धरोहर राशि को छोड़कर अन्य निविदादाता द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि निविदा समाप्ति के पश्चात् वापस कर दी जायेगी।
10. निविदा समिति को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को अस्वीकृत कर दें।
11. सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के पश्चात् विश्वविद्यालय में अपना पार्टी/वेन्डर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
12. प्रथम वर्ष की फलत तुड़ाई से पूर्व निविदा में अंकित धनराशि का 30 प्रतिशत धनराशि नगद जमा करनी होगी।
13. द्वितीय वर्ष की फलत की तुड़ाई से पूर्व शेष सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी, इस धनराशि में पूर्व में निविदा में प्रतिभाग करने हेतु जमा की गई क्वालीफाईंग मनी को समायोजित कर लिया जायेगा। यदि सफल निविदादाता धनराशि जमा करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा पहले जमा किया गया क्वालीफाईंग मनी व अन्य धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
14. जिस ठेकेदार की निविदा स्वीकृत हो जाती है वह ठेकेदार किसी अन्य ठेकेदार को बाग नहीं बेच सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो, उस ठेकेदार का ठेका निरस्त कर उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
15. ठेके के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद आदि के समाधान के लिए माननीय कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उनके अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।
16. धनराशि जमा न करने की स्थिति में उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा धनराशि से कटौती की जायेगी।
17. ठेकेदार को अपना तथा बाग में कार्य करने वाले कर्मियों का चरित्र प्रमाण पत्र, जो पुलिस द्वारा दिया गया हो बाग का कब्जा लेने से पूर्व केंद्र कार्यालय में जमा करना होगा।
18. सफल निविदादाता द्वारा बागों में लगे वृक्षों का कटान नहीं किया जायेगा और न ही उनकी टहनियों की कॉट–छॉट की जायेगी।
19. बिक्री की गयी फसल के अतिरिक्त ठेकेदार को केन्द्र की अन्य फसलों से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। यदि ठेकेदार अथवा उसका प्रतिनिधि केन्द्र/विश्वविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचाता है, तो सम्बन्धित ठेकेदार से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी।
20. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
21. सफल निविदादाता को बागों की जुताई, सिंचाई, खाद डालना, रसायन का स्प्रे एवं सुरक्षा चौकीदारी की व्यवस्था इत्यादि यथा समस्त कार्यों की व्यवस्था अपने स्तर से करनी होगी। ठेकेदारों को बागों में रसायन (फफूँदीनाशक/कीटनाशी आदि) के प्रयोग से पूर्व केंद्र के प्रभारी अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यदि सफल निविदादाता द्वारा बिना अनुमति के किसी रसायन/कीटनाशक का छिड़काव वृक्षों पर करने के उपरान्त वृक्ष सूखता है अथवा फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसकी क्षतिपूर्ति का आंकलन केंद्र द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा एवं सम्बन्धित ठेकेदार से वसूली की जायेगी।
22. सफल निविदादाता को किसी भी सामग्री/फल को केंद्र से बाहर ले जाने हेतु गेट–पास प्राप्त करना होगा, बिना गेट–पास के केंद्र से कोई सामान बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
23. सफल निविदादाता बाग में किसी अन्य फसल का उत्पादन नहीं कर सकता है।
24. केंद्र द्वारा बनाये गये रास्तों का उपयोग ही सफल निविदादाता को करना होगा। किसी नये रास्ते का निर्माण अथवा बाउण्ड्री को तोड़कर अपना सामान/फल ले जाने का अधिकार नहीं होगा। यदि ऐसा करते पाया जाता है तो सफल निविदादाता पर दण्ड/जुर्माना लगाया जायेगा।
25. ठेकेदारों को उक्त सभी शर्तो का पालन कड़ाई से करना होगा। यदि ठेकेदार नियमों/शर्तो का पालन नहीं करता है तो उसके विरूद्ध विश्वविद्यालय नियमानुसार आवश्यक प्रशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
26. इस नीलामी के सम्बंध में किसी भी विवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय ऊधम सिंह नगर होगा।